-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड मे 01 घायल सहित 02 शातिर गौकश/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण, 01 इलैक्ट्रानिक कांटा, गोवंश की खाल व 50 किलो गोंमास बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध/गौकशी की घटनाओ की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। आज दिनांक 20.03.2025 की प्रातः को थाना प्रभारी चिलकाना मय पुलिस टीम के साथ ग्राम दूमझेडा पुल के पास पैदल गस्त कर रहे थे तभी कुछ दूरी पर टार्च की रोशनी व कुछ व्यक्तियों के बात करने की आवाज सुनाई दी। पुलिस टीम जैसे ही उस स्थान के नजदीक पहुंची तो देखा 02 व्यक्ति गौकशी कर दो प्लास्टिक के बोरे मे गोमांश को लेकर आ रहे थे। पुलिस टीम ने जैसे ही उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो गोकशो द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर गौमांश फेककर भागने लगे। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश की पहचान **जीशान उर्फ चीनी पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** के रुप मे हुई है तथा 01 अन्य गौकश को घेराबन्दी कर गिरफ्तार किया गया। जिसकी पहचान **फुरकान पुत्र अब्दुल शकूर निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** के रुप में हुई । घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त जीशान उर्फ चीनी व फुरकान उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर , 02 जिंदा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण (कुल्हाडी, छुरी, रस्सी), 01 इलैक्ट्रानिक तोल कांटा, गोवंश की खाल व करीब 50 किलोग्राम गौमांस बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0-59/25 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधि0 व 5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार **अभियुक्तगण के विरुद्ध जनपद व गैर राज्यों के विभिन्न थानों पर गौकशी, गैंगस्टर अधिनियम व अवैध अस्लाह रखने जैसे गंभीर अपराधों के करीब डेढ दर्जन मकुदमें दर्ज है।** गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान ने पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं और मेरे साथी जिशान उर्फ चीनी दोनो कम पढे लिखे हैं व गौकशी का कार्य करते हैं ।हम दोनो जंगलो में घूम रहे आवारा गौवंश को तलाश करते हैं फिर गौवंश का वध कर उसका मांस आस पास के क्षेत्रों में बेच देते हैं ।जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है और मुनाफे को हम आपस में आधा-आधा बाँट लेते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिये हम अपने साथ अवैध हथियार भी रखते हैं । कल दिनांक 19/20.03.2025 की रात्रि को मैंने और जिशान ने दुमझेडा के जंगल से एक गौवंश को वध किया था,जिसका मांस निकालकर हम दोनो बेचने के लिए जा रहे थे की तभी पुलिस ने हमें पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस से पकडे जाने के डर से मैने व मेरे साथी ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- जिशान उर्फ चीनी पुत्र अख्तर निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- फुरकान उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल शकूर निवासी ग्राम दूधगढ थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 60 किलो गोमांस
- गोकशी करने के उपकरण(02 कुल्हाडी,01छुरी,01 रेती, 01 लकडी का गुटका,01 टार्च व 02 रस्सी के टुकड़े)
- 01 इलैक्ट्रानिक कांटा
- 01 मोबाईल फोन (अभियुक्त जीशान के कब्जे से)

गिरफ्तार अभियुक्त जीशान उर्फ चीनी का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-139/17 धारा—3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11पशु क्रूरता अधि0 व 420 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर .
2. मु0अ0सं0-180/17 धारा—18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. 3.मु0अ0सं0-66/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-394/20 धारा 307 भादिव थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0-395/20 धारा 414/465 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-396/20 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-35/24 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0-25/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0-26/25 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 109(1)बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर
10. 11.मु0असं0 -123/12 धारा 279/336 भादवि व 114बी/8 सीएस एक्ट व 11 पशुक्रूरता अधि0 थाना बुडिया युमनागर हरियाणा
11. 12.मु0अ0स0 -102/13 धारा 279/336 भादवि , 4 बी /8 सीएस व 11 पशु क्रूरता थाना बुडिया युमनागर हरियाणा
12. 13.मु0अ0सं0 -102/13 धारा 279/336 भादवि व 114बी/8 सीएस थाना बुडिया यमुनानगर हरियाणा
13. 14. मु0अ0स0- 167/13 धारा 3/5/8 सीएस व 11 पशु थाना बेहट जनपद सहारनुपर
14. 15.मु0अ0सं0 -429/20 धारा 174ए थाना सदर यमुनानगर हरियाणा

गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0—302/17 धारा—3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/11पशु क्रूरता अधि0 थाना चिलकाना सहारनपुर ।.
2. मु0अ0स0 – 220/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0—344/18 धारा—8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4.मु0अ0सं0— 345/18 धारा 10 यूपी गुण्डा अधि0 थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0—457/18 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1.प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. है0का0 593 सहदेव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 378 तरूण तोमर थाना चिलकाना सहारनपुर ।
6. का0 1759 गुलशन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
7. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 20.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा माल निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत कुल 17 दो पहिया वाहनों की नीलामी करायी गयी, जिसमें कुल 74,340/- रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नकुड के कुशल नेतृत्व में एवं उप जिला मजिस्ट्रट रामपुर मनिहारान (अध्यक्ष) द्वारा नामित श्री संजीव कुमार चौहान (नायब तहसीलदार), श्री रोहित कुमार निरीक्षक टेक्निकल (आर0टी0ओ0 कार्यालय) सहारनपुर व प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना रामपुर मनिहारान परिसर में वर्ष 2020 से 2022 तक खड़े कुल 17 MV Act में सीज वाहनों जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 38,550/- रुपये निर्धारित की गई। कार्यक्रम अनुसार थाना रामपुर मनिहारन परिसर में नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 25 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गई। **बोली दाता श्री नौशाद अली पुत्र कालूखा निवासी ननौता जिला सहारनपुर द्वारा उच्चतम बोली 63,000/- रुपये लगायी गयी।** उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ कुल धनराशि 74,340/-रू0 राज कोष मे जमा की जायेगी।

नीलाम हुए वाहनों का विवरणः-

- 17 वाहन (दो पहिया)

नीलामी कराने वाली टीम का विवरणः-

1. श्री एस0एन0 वैभव पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नकुड सहारनपुर।
2. श्री संजीव कुमार चौहान (नायब तहसीलदार) रामपुर मनिहारन सहारपुर।
3. श्री रोहित कुमार निरीक्षक टैक्निकल आर0टी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर।
4. श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।
5. हैड मोहर्रिर 543 अनूप सिंह थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

दिनांकः 20.03.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा गुमशुदा बालिका को मात्र 02 घंटे में तलाश कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2025 को वादी ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित प्रार्थना-पत्र दिया कि वादी की पुत्री आयु 9 वर्ष घर से बिना बताये कही चली गई है जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 114/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में गुमशुदा/लावारिश/घर से बिछड़े बच्चों की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन मुस्कान” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए वादी के साथ गहन पतारसी सुरागरसी करते हुए गुमशुदा बालिका को सूचना के मात्र 02 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया गया। जिसको नियमानुसार तत्काल माता पिता की सुपुर्दगी में दिया गया।

<u>बरामद करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राजबहादुर राठी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 प्रशान्त राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 983 मीनू गिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 20.03.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण **1.राजपाल पुत्र बुच्चा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 4063/24 अ0सं0 358/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जिला सहारनपुर) **2.सन्नी पुत्र इन्द्र निवासी ग्राम सरगथलवाला थाना सरसावा जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद संख्या 4011/24 अ0स0 273/19 धारा 147,148,149,353 भादवि चालानी थाना सरसावा जिला सहारनपुर) को उनके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. राजपाल पुत्र बुच्चा निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. सन्नी पुत्र इन्द्र निवासी ग्राम सरगथलवाला थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।
2. है0का0 25 जयप्रकाश थाना सरसावा सहारनपुर।
3. है0का0 97 अनुराग थाना सरसावा सहारनपुर।